आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–197 / 2022
मुन्नी लाल पासवान
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–2757 / 2020 में दिनांक–08.12.2021 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद संख्या–28 / 2013–14 में दिनांक–09.03.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 08.12.2021 में अंकित है कि– "Accordingly, the present writ petition stands disposed of as not pressed, however, with the aforesaid liberty and in case appropriate representation/revision petition is filed by the petitioner against the aforesaid order dated 09.03.2019, before the concerned Divisional Commissioner, within a period of four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed off within a period of eight weeks, thereafter." उपर्युक्त के आलोक मे पुनरीक्षण वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना गया। वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि प्रखंड आपूर्ति	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पदाधिकारी, लौरिया के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जाँच दिनांक 27.09.2013 को की गई एवं उनके द्वारा अपने पत्रांक 263 दिनांक 01.10.2013 से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रतिवेदित की :–

1. निर्धारित मात्रा से गेहूँ 02 कि0ग्र0 एवं चावल 01 कि0ग्र0 कम आपूर्ति किया जाता है एवं अधिक दर लिया जाता है।

2. निर्धारित कार्यवधि में दुकान बंद पाया गया।

3. निर्धारित मात्रा से कम किरासन तेल देना तथा अधिक राशि लेना।

4. माह सितम्बर 2013 का किरासन तेल का उठाव कर वितरण प्रारम्भ नहीं करना।

उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के पत्रांक 469 दिनांक 06.11.2013 से जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मुन्नी लाल पासवान से कारण–पृच्छा की गई। जन वितरण प्रणाली विक्रेता मुन्नी लाल पासवान के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया। कारण पृच्छा से असंतुष्ट होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने उनके अनुज्ञप्ति सं0–05/1997 को अपने आदेश दिनांक 16.12.2013 से रद्द कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने समाहर्त्ता न्यायालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में वाद सं0–28/2013–14 दायर किया। समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2019 से अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके अपील आवेदन को अपने मुखर आदेश से अस्वीकृत कर दिया, जिस आदेश के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-2757/2020 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.12.2021 के आलोक में यह वाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने स्पष्टीकरण के साथ जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराये थे, जो विधिसम्मत नहीं है। आगे इनका कहना है कि निरीक्षण की तिथि दिनांक 27.09.2013 को खाद्यान्न के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने बैंक गये थे, जिसकी सूचना उन्होंने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया था, तथा मुखिया को भी सूचित किया था। उनका यह भी कहना है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता निर्धारित दर एवं मात्रा में लाभुकों को अनाज/तेल देते है तथा लाभुकों एवं उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर/निशान प्राप्त करते है। इनका (पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता) दावा है, कि लाभुकों के बीच राशन

WEB COPY NOT OFFICIAL

का वितरण हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिसके देख–रेख मे किया जाता है। उक्त समिति के द्वारा कभी भी उन पर (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इस प्रकार इनके उपर लगाया गया सभी आरोप निराधार है। अनुमंडल पदाधिकारी/समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के स्पष्टीकरण/तथ्यों पर विचार किये बगैर अपना आदेश पारित किया है, जो गलत एवं विखंडित करने योग्य है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज एवं अधिक मूल्य लिया जाता था। जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अपने कारण पृच्छा के साथ जो वितरण पंजी की छाया प्रति संलग्न कि गयी थी, जिसमें यह पाया गया था कि एक ही लाभुक को कई उपभोक्ताओं का अनाज प्राप्त कराया गया है। उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिया गया आदेश उचित है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लौरिया द्वारा दिनांक 27.09.2013 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान की जाँच के क्रम में पाई गई अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने अपने पत्रांक 469 दिनांक 06.11.2013 से जन वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर अपने आदेश दिनांक 16.12.2013 से उनके (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश दिया है। जिसके विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता समाहर्त्ता न्यायालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में वाद सं0–28/2013–14 दायर किया। समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अपने अपीलवाद में उठाये गये सभी तथ्यों का जवाब देते हुए अपने मुखर आदेश से उनके अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उल्लेखनीय है कि जाँच की तिथि को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान बंद थी। इस बात को वे स्वयं अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया है कि बैंक में ड्राफ्ट जमा करने जाने की सूचना मुखिया को देकर गये थे, जिसके कारण दुकान बंद थी परंतु इससे संबंधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

उनके द्वारा कोई साक्ष्य इस न्यायालय/निम्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता का यह कृत्य ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 15(i) के प्रतिकूल है। साथ ही उक्त नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली रखना है। यदि उन्हें कहीं जाना ही था तो अपने प्रतिनिधि को वहां रख कर जाते, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वही तथ्य रखा गया है जो निम्न न्यायालय के समक्ष रखा गया था। उन तथ्यों के संबंध में निम्न न्यायालय के आदेश में अंकित है कि ''***अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश फलक के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अपीलार्थी के कारण पृच्छा एवं उपलब्ध कराये गये पंजी की गहराई से छान–बीन करते हुए यह पाकर की वितरण पंजी में वितरण की मात्रा अंकित है, किंतु उठाने वाले का हस्ताक्षर/निशान वितरण पंजी में नही, इनके अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया इनके द्वारा अपने बचाव में लाल बच्चन मांझी, छठिया देवी, मंगनी देवी के द्वारा इनके पक्ष में समर्पित शपथ पत्र की प्रति समर्पित किया गया है, किंतु इसके अतिरिक्त जाँच कर्ता पदाधिकारी के समक्ष छाठो देवी, मेही मांझी, ज्ञान्ती देवी एवं गोलरी देवी के द्वारा अपने बयान के प्रतिकुल कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। अर्थात इनकी शिकायत वर्तमान में भी अपीलार्थी के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जाँच की तिथि को अनुपस्थित रहने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।***'' साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता के संबंध मे यह भी उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिया जाना यह प्रदर्शित करता है उनके द्वारा कार्ड/कूपनधारको को निर्धारित मात्रा से कम किरासन तेल/खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही थी तो स्वाभाविक रूप से उस बचे हुए तेल/खाद्यान्न का उनके द्वारा दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है, जो उनके कालाबाजारी में संलिप्तता को भी उजागर करता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता का यह कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 14(i), 25 (i) **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01** में पारित न्यायादेश एवं नियम 25 (ड़) का उल्लंघन का हो जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायाल के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL